

व्हिसलब्लोअर और सत्यनिष्ठा नीति

नीति प्रभावी तिथि :

18/01/2006

अंतिम संशोधन की तिथि :

28/11/2023

नीति संशोधन और
अनुमोदन प्राधिकरण :

वैश्विक प्रमुख - अभिशासन, जोखिम और अनुपालन और कंपनी सचिव, और
वैश्विक प्रमुख - मानव संसाधन, और Biocon Biologics Limited की लेखा
परीक्षा समिति। नीति की समीक्षा दो वर्ष में एक बार की जाएगी।

विषय - सूची

1. स्कोप.....	3
2. उद्देश्य और प्रस्तावना	3
3. नीति का विवरण.....	4
3.1 परिभाषाएं.....	4
3.2 कवरेज.....	5
3.3 सत्यनिष्ठा समिति का गठन.....	5
3.4 अन्वेषण दल का गठन.....	6
3.5 लेखापरीक्षा समिति	6
3.6 सत्यनिष्ठा समिति और अन्वेषण दल द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया	7
3.7 सत्यनिष्ठा समिति की जिम्मेदारियां	8
3.8 लेखापरीक्षा समिति के उत्तरदायित्व	8
3.9 रिपोर्टिंग चैनल.....	9
3.10 किसी विषय के अधिकार और उत्तरदायित्व	11
3.11 एक अन्वेषण में प्रतिभागियों का आचरण	11
3.12 व्हिसलब्लोअर संरक्षण.....	12
3.13 गुप्तता / गोपनीयता	13
3.14 रिपोर्टिंग और प्रतिधारण.....	13
3.15 नीति के दुरुपयोग की रोकथाम.....	14
3.16 संशोधन.....	14

1. स्कोप

यह नीति Biocon Biologics Limited (इसके बाद “**कंपनी**” के रूप में संदर्भित), इसके सहयोगियों को कवर करती है और निम्नलिखित पर लागू होती है :

- a. कंपनी कर्मचारी : यह नीति Biocon Biologics Limited के सभी कर्मचारियों (इंटरन, अनुबंध श्रमिकों सहित) पर लागू होती है।
- b. सहायक कंपनियां और अन्य नियंत्रित सहयोगी : सहायक कंपनियों और कंपनी के अन्य नियंत्रित सहयोगियों को संबंधित नीतियों को अपनाना और उनका पालन करना चाहिए। एक नियंत्रित सहयोगी एक सहायक या अन्य इकाई है जिसमें कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतदान अधिकारों के 50 (पचास) प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक का मालिक है, या जिसमें इकाई को नियंत्रित करने की शक्ति कंपनी की ओर से या उसके पास है।
- c. कंपनी के निदेशक और अधिकारी।
- d. Biocon की ओर से कार्यरत या कार्य करने वाले तृतीय पक्षों को इस नीति की सामग्री के बारे में पता होना चाहिए

2. उद्देश्य और प्रस्तावना

व्हिसलब्लोअर और सत्यनिष्ठा नीति (इसके बाद इस “**नीति**” के रूप में संदर्भित) का उद्देश्य है :

- a. ऐसे व्यक्ति को सक्षम करें जो अनैतिक / गैर - अनुपालन गतिविधि को देखता है या संदेह करता है (चाहे या नहीं कानून का उल्लंघन) (ऐसा व्यक्ति जिसे इसके बाद “**व्हिसलब्लोअर**” के रूप में संदर्भित किया गया है), सत्यनिष्ठा समिति (जैसा कि यहां परिभाषित किया गया है) या लेखा परीक्षा समिति से संपर्क करने के लिए।
- b. संदिग्ध अनैतिक / गैर-अनुपालन गतिविधियों के आरोपों की रिपोर्ट और उनके अन्वेषण को नियंत्रित करना।
- c. निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाना।

कंपनी के कर्मचारियों को संदिग्ध अनैतिक / गैर- अनुपालन गतिविधियों के सभी आरोपों की रिपोर्ट करने के लिए इस नीति द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सभी उदाहरणों में कंपनी यह निर्धारित करने का विशेषाधिकार रखती है कि परिस्थितियां इस नीति और लागू कानूनों और विनियमों और उचित अन्वेषण प्रक्रिया के अनुरूप अन्वेषण की आवश्यकता कब देती है।

3. नीति का विवरण

3.1 परिभाषाएं

लिहाज	परिभाषा
“अन्वेषण टीम”	इस नीति के पैराग्राफ 3.4 में इसका अर्थ बताया जाएगा।
“अधिकारी”	किसी भी निदेशक (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), प्रबंधक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या किसी भी व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके निर्देशों या निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल या किसी एक या अधिक निदेशक कार्य करने के आदी हैं।
“निदेशक”	इसका अर्थ है कंपनी के बोर्ड में नियुक्त निदेशक।
“निदेशक मंडल” या “बोर्ड”	कंपनी के निदेशकों के सामूहिक निकाय को संदर्भित करता है।
“कंपनी”	इस नीति के पैराग्राफ 1 में इसका अर्थ बताया जाएगा।
“प्रतिभागी”	इस नीति के पैराग्राफ 3.11 में इसका अर्थ बताया जाएगा।
“विषय”	व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह है जो या तो एक व्हिसलब्लोअर द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर या किसी जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्य के आधार पर जांच के तथ्यान्वेषण का केन्द्र बिन्दु है, जो एक व्हिसलब्लोअर द्वारा एक अनैतिक / गैर अनुपालन गतिविधि की रिपोर्टिंग का परिणाम है।
“अनैतिक / गैर - अनुपालन गतिविधियाँ”	इसका अर्थ ऐसी गतिविधियों से होगा जो प्रकृति में गैर-कानूनी या अनैतिक है या कंपनी की आचार संहिता के विरोध में है।
“सत्यनिष्ठा समिति”	इसका अर्थ इस नीति के पैराग्राफ 3.3 में दिया जाएगा।
“लेखा परीक्षा समिति”	इस के पैराग्राफ 3.5 में इसका अर्थ दिया जाएगा
“निषिद्ध प्रतिशोध”	इस के पैराग्राफ 3.12 में इसका अर्थ दिया जाएगा
“व्हिसलब्लोअर”	इस नीति के पैराग्राफ 2 में इसका अर्थ बताया जाएगा।

जिन परिभाषाओं को इस नीति में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें आचार संहिता या कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (Securities and Exchange Board of India, SEBI) अधिनियम और SEBI लिस्टिंग विनियमों में समय समय पर संशोधित किया गया है।

3.2 कवरेज

इस नीति में कदाचार, अनुपालन उल्लंघन और ऐसी घटनाएं शामिल हैं जो घटित हुई हैं/ जिनमें शामिल होने की आशंका है (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं):

- रिश्तत या भ्रष्टाचार, जैसा कि लागू भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में परिभाषित है, जिसमें (भारतीय) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1977; और यूनाइटेड किंगडम रिश्तत अधिनियम, 2010 शामिल हैं
- धन - शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (भारतीय) में यथा परिभाषित धन - शोधन
- धोखाधड़ी, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत समझा गया है
- वित्तीय अनियमितताएं
- कंपनी डेटा या रिकॉर्ड में हेरफेर
- अप्रकाशित मूल्य - संवेदनशील जानकारी का अनधिकृत प्रकटीकरण
- कंपनी के धन या संपत्ति का दुरुपयोग
- गोपनीय या मालिकाना जानकारी का गैरकानूनी उपयोग या प्रकटीकरण
- जानबूझकर लापरवाही से सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पर्याप्त खतरा पैदा करना
- कोई अन्य आपराधिक अपराध
- अधिकार का दुरुपयोग
- कर्मचारियों की आचार संहिता या नियमों का उल्लंघन
- निर्यात नियंत्रण और व्यापार प्रतिबंधों का उल्लंघन
- तृतीय - पक्ष कदाचार
- उपरोक्त से संबंधित कोई अन्य अनैतिक या गैरकानूनी गतिविधियां।

नोट : इस नीति का दुरुपयोग किसी भी निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या निराधार आरोप लगाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

कंपनी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है जो इस नीति में निर्धारित रिपोर्टिंग प्रावधानों का उपयोग जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण या निराधार रिपोर्ट करने के लिए करता है।

इस नीति का उपयोग कर्मचारी शिकायतों या असहमति की रिपोर्ट करने के लिए भी नहीं किया जाएगा, जिसे मानव संसाधन विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

3.3 सत्यनिष्ठा समिति का गठन

सत्यनिष्ठा समिति में मुख्य वित्तीय अधिकारी, वैश्विक प्रमुख - अभिशासन, जोखिम और अनुपालन और कंपनी सचिव, और मानव संसाधन के वैश्विक प्रमुख शामिल होंगे जो संगठन के भीतर या बाहर संबंधित हितधारकों को अन्वेषण सौंप सकते हैं। सत्यनिष्ठा समिति सूचना प्रदाता द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का स्वतंत्र रूप से आकलन करेगी।

सत्यनिष्ठा समिति अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी जो बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

3.4 अन्वेषण दल का गठन

सत्यनिष्ठा समिति एक समिति (**“अन्वेषण दल”**) का गठन करेगी जिसमें सूचना प्रदाता द्वारा उठाए गए किसी अनैतिक / अनुपालन न करने वाले कार्यकलाप की वास्तविक अन्वेषण करने के लिए सत्यनिष्ठा समिति द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे।

अन्वेषण दल के आकार का निर्णय सत्यनिष्ठा समिति द्वारा किया जाएगा। मामले की अन्वेषण के लिए कम से कम 2 सदस्यों की जरूरत होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्वेषण दल के सदस्य ऐसी अन्वेषण के लिए तीसरे पक्ष को नियुक्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।

3.5 लेखापरीक्षा समिति

संदर्भ लेखापरीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।



3.6 सत्यनिष्ठा समिति और अन्वेषण दल द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया

1. सत्यनिष्ठा समिति यह निर्धारित करेगी कि चिंता या शिकायत वास्तव में अनैतिक / गैर - अनुपालन गतिविधि से संबंधित है या नहीं।
2. यदि सत्यनिष्ठा समिति द्वारा की गई प्रारंभिक अन्वेषण से संकेत मिलता है कि अनैतिक / गैर - अनुपालन गतिविधि की शिकायत का कोई आधार नहीं है, या यह इस नीति के तहत पीछा करने का मामला नहीं है, तो इसे इस स्तर पर खारिज कर दिया जा सकता है और निर्णय का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।
3. जहां प्रारंभिक अन्वेषण से संकेत मिलता है कि आगे की अन्वेषण आवश्यक है, यह सत्यनिष्ठा समिति द्वारा नामित अन्वेषण दल द्वारा किया जाएगा। अन्वेषण निष्पक्ष तरीके से, एक तटस्थ तथ्य - खोज प्रक्रिया के रूप में और अपराध की धारणा के बिना आयोजित की जाएगी।
4. यदि व्हिसलब्लोअर बाद में सत्यनिष्ठा समिति के किसी सदस्य के खिलाफ शिकायत करता है तो उस सदस्य और उसके रिश्तेदारों को अन्वेषण की अवधि के लिए सत्यनिष्ठा समिति से बाहर रखा जाएगा; और जब तक सत्यनिष्ठा समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक ऐसे सदस्य का इलाज किया जाएगा और इस नीति के तहत एक विषय के समान अधिकार होंगे।
5. मामले की गंभीरता के आधार पर, सत्यनिष्ठा समिति प्रस्तावित अनुशासनिक कार्रवाई / प्रति उपाय के साथ मामले को लेखा परीक्षा समिति को भेज सकती है। लेखा परीक्षा समिति इस मामले पर जैसा उचित समझे, निर्णय ले सकती है। ऐसे मामलों में, सत्यनिष्ठा समिति सूचना प्रदाता की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करेगी
6. सत्यनिष्ठा समिति द्वारा असंतोषजनक समाधान के मामले में, व्हिसलब्लोअर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक पहुंच सकता है।
7. सत्यनिष्ठा समिति के किसी भी सदस्य से संबंधित शिकायत की स्थिति में, उसे कार्यकारी अध्यक्ष को भेजा जा सकता है। कार्यकारी अध्यक्ष की ईमेल आईडी Kiran.mazumdar@biocon.com है। यदि शिकायत में कोई भी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, सीईओ और एमडी, और / या कार्यकारी अध्यक्ष शामिल है, तो व्हिसलब्लोअर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, प्राप्तकर्ता प्रमुख - मानव संसाधन / कंपनी सचिव / Biocon Biologics Limited, Biocon हाउस, भूतल, टॉवर- 3, सेमीकॉन पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज - II, होसुर रोड, बैंगलोर 560100 या ईमेल पर: chairperson.auditcommittee@biocon.com.
8. लेखा परीक्षा समिति या लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा कोई भी निर्णय, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार विकसित, अंतिम और व्हिसलब्लोअर पर बाध्यकारी है।



3.7 सत्यनिष्ठा समिति की जिम्मेदारियां

- ✓ सत्यनिष्ठा समिति अन्वेषण दल के निष्कर्षों की समीक्षा करेगी और उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करेगी।
- ✓ सत्यनिष्ठा समिति यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि अन्वेषण प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो।
- ✓ सत्यनिष्ठा समिति इस विषय को अपने रुख और मामले को साबित / न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त और निष्पक्ष अवसर प्रदान करेगी, जिसमें व्यक्तिगत सुनवाई भी शामिल है, जिसकी आवश्यकता हो सकती है, और अन्वेषण की प्रक्रिया में पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी।
- ✓ जहां सत्यनिष्ठा समिति शिकायत प्राप्त होने की तारीख से उचित समय के भीतर शिकायत का समाधान* करने अथवा उसे अस्वीकार करने में असमर्थ रहती है तो वह मामले को लेखा परीक्षा समिति को भेजेगी।
- ✓ ऐसे मामलों में, सत्यनिष्ठा समिति सूचना प्रदाता की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करेगी।
- ✓ सत्यनिष्ठा समिति तिमाही आधार पर लेखापरीक्षा समिति को एक सारांश रिपोर्ट प्रदान करेगी, जिसमें प्राप्त हुई, वर्तमान में अन्वेषण के अधीन तथा निपटाई गई व्हिसलब्लोअर शिकायतों की संख्या बताई जाएगी।

* समाधान अन्वेषण की शुरुआत दर्शाता है।

3.8 लेखापरीक्षा समिति के उत्तरदायित्व

लेखापरीक्षा समिति का कोई भी सदस्य जिसके पास किसी दिए गए अन्वेषण में विषय या व्हिसलब्लोअर के साथ अतिव्यापी हितों का टकराव है या यथोचित रूप से विश्वास करता है या संदेह करता है कि उसके पास इस तरह के हितों का टकराव हो सकता है उसे अन्वेषण में किसी भी भागीदारी से स्वयं को अलग कर लेना आवश्यक है।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा सत्यनिष्ठा समिति द्वारा तैयार की गई सूचना प्रदाता शिकायतों की तिमाही सारांश रिपोर्ट की समीक्षा करना अपेक्षित है।

3.9 रिपोर्टिंग चैनल

कोई भी व्यक्ति, जो इस नीति के तहत शिकायत की रिपोर्ट करना चाहता है या संरक्षित प्रकटीकरण करना चाहता है, वह अपनी शिकायतों को अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में रिपोर्ट कर सकता है। रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित चैनलों का उपयोग किया जा सकता है :

3.9.1 हॉटलाइन नंबर

भूक्षेत्र	रेखा प्रकार	हॉटलाइन नंबर
कनाडा	घरेलू	1-844-609-5841 / 1-855-350-9393
फ्रांस	वनकनेक्ट - TF	0800 90 37 40
जर्मनी	वनकनेक्ट - TF	0800 1824198
भारत	वनकनेक्ट - TF	022 5032 3287
मलेशिया	वनकनेक्ट - TF	1800811403
सऊदी अरब	वनकनेक्ट - TF	800 850 1623
संयुक्त अरब अमीरात	वनकनेक्ट - TF	800 0120195
युनाइटेड किंगडम	वनकनेक्ट - TF	0808 196 2672
संयुक्त राज्य अमेरिका	घरेलू	1-844-609-5841

- एक बार जब आप इस नंबर पर कॉल करते हैं, तो चयनित भाषा के आधार पर, एक ऑपरेटर आपको अपनी चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए मार्गदर्शन करेगा।
- वह आपसे प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछेगा जो अधिकतम जानकारी के मिलान को सक्षम करेगा।

3.9.2 वेबसाइट: <http://bioconbiologics.ethicspoint.com>

- यह एक वेब पेज लिंक है जहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद, यह आपको एक फॉर्म पर ले जाएगा, जिसमें आप शिकायत विवरण रिकॉर्ड कर सकते हैं।
- जब आप किसी शिकायत की रिपोर्ट करते हैं, तो आपको “रिपोर्ट कुंजी (संदर्भ) संख्या” नामक एक अद्वितीय कोड सौंपा जाएगा (प्रीपोस्ट चैनलों के माध्यम से रिपोर्टिंग के मामले में संपर्क जानकारी प्रदान करने की सलाह दी जाती है जो संदर्भ संख्या प्राप्त करने में मदद करेगी)।
- आप अपनी रिपोर्ट कुंजी संख्या और अपनी पसंद के पासवर्ड का उपयोग अपनी शिकायत / प्रतिक्रिया / प्रश्नों की स्थिति की अन्वेषण करने के लिए सत्यनिष्ठा समिति से कर सकते हैं।
- अपनी शिकायत की स्थिति की अन्वेषण करने के लिए, आप रिपोर्ट कुंजी नंबर के माध्यम से वेबसाइट पर लॉग इन करने के अलावा हॉटलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं।

3.9.3 ईमेल शिकायत

- नीचे दिए गए ईमेल पत्तों पर सत्यनिष्ठा समिति के किसी भी सदस्य को शिकायत भेजी जा सकती है:
 Biocon Biologics Limited और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां: integritybiologics@biocon.com

- **सत्यनिष्ठा समिति के सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों को रिपोर्ट करना :** एक लिखित रिपोर्ट व्हिसलब्लोअर के तत्काल पर्यवेक्षक को भी सौंपी जा सकती है (यदि हितों का कोई व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है)। ऐसे मामले में, व्हिसलब्लोअर द्वारा संपर्क किया गया पर्यवेक्षक मूल शिकायत प्राप्त होने के 2 कार्य दिवसों के भीतर शिकायत की स्कैन की गई प्रति सत्यनिष्ठा समिति को अग्रेषित करेगा। ईमेल भेजे जाने चाहिए: Biocon Biologics Limited और पूर्ण-स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां : integritybiologics@biocon.com

3.9.4 मौखिक शिकायत

- प्रदाता से किसी कर्मचारी / कार्मिक द्वारा मौखिक शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त ऐसी शिकायत का विवरण 2 कार्य दिवसों के भीतर सत्यनिष्ठा समिति को सूचित किया जाएगा। सत्यनिष्ठा समिति को ऐसी शिकायतों की सूचना देने की जिम्मेदारी उस कर्मचारी / कार्मिक पर है जिसे मौखिक शिकायत प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होने पर सत्यनिष्ठा समिति इस दस्तावेज की धारा 3.6 के तहत बताई गई प्रक्रिया का पालन करेगी।

3.10 किसी विषय के अधिकार और उत्तरदायित्व

- अन्वेषण दल द्वारा औपचारिक अन्वेषण की शुरुआत में विषयों को आरोपों के बारे में सूचित किया जाना है। उन्हें अन्वेषण दल द्वारा तय किए जाने वाले समय और स्थान पर अन्वेषण के दौरान सुनवाई का अवसर मिलेगा।
- कानून की वैध जरूरतों और अन्वेषण में निष्पक्षता को देखते हुए विषय की पहचान को यथासंभव विश्वास में रखा जाएगा।
- जब तक इसके विपरीत बाध्यकारी कारण न हों, विषयों को अन्वेषण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में निहित साक्ष्य के भौतिक बिंदुओं का जवाब देने का अवसर दिया जाएगा।
- विषयों को अन्वेषण के परिणाम के बारे में सूचित करने का अधिकार है।
- विषयों की जिम्मेदारी है कि वे अन्वेषण में हस्तक्षेप न करें और इस संबंध में अन्वेषण दल से सलाह का पालन करें। विषय किसी भी सबूत को रोकने, नष्ट करने या छेड़छाड़ नहीं करेगा, न ही विषय किसी भी गवाह को किसी भी तरीके से प्रभावित, प्रशिक्षित या डराएगा।

3.11 एक अन्वेषण में प्रतिभागियों का आचरण

- सभी कर्मचारी जिनका साक्षात्कार लिया जाता है, जिनसे जानकारी प्राप्त की गई है या जिन्हें अन्वेषण में अन्यथा भाग लेने के लिए कहा जाता है, (सामूहिक रूप से, **“प्रतिभागी”**), का कर्तव्य है कि वे अन्वेषण टीम के साथ पूरी तरह से सहयोग करें।
- प्रतिभागियों को अन्वेषण पूरी करने के उद्देश्य से आवश्यक होने तक किसी के साथ अन्वेषण या उनकी गवाही पर चर्चा या खुलासा करने से बचना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में प्रतिभागियों को विषय के साथ चर्चा नहीं करनी चाहिए, अनुरोध / प्रदान किए गए साक्ष्य की प्रकृति या अन्वेषण दल को दी गई गवाही जब तक कि अन्वेषण दल द्वारा सहमति न हो।
- अन्वेषण दल कानून और अन्वेषण की वैध जरूरतों के भीतर संभव सीमा तक किसी भी प्रतिभागी द्वारा गोपनीयता के लिए किए गए किसी भी अनुरोध का सम्मान करेगा।

3.12 व्हिसलब्लोअर संरक्षण

- a. इस नीति के तहत एक अनैतिक / गैर - अनुपालन गतिविधि की सूचना देने के आधार पर व्हिसलब्लोअर के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा। कंपनी, एक नीति के रूप में, व्हिसलब्लोअर के खिलाफ अपनाए जा रहे किसी भी प्रकार के भेदभाव, हिंसा, उत्पीड़न या किसी अन्य अनुचित रोजगार अभ्यास की निंदा करती है
- b. यदि कोई व्हिसलब्लोअर महसूस करता है कि वह किसी भी प्रकार के प्रतिशोध, उत्पीड़न या धमकी की प्रकृति में भेदभाव का सामना कर रहा है शिकायत वापस लेने का दबाव या रिपोर्टिंग, गवाही देने या अन्यथा अन्वेषण कार्यवाही में भाग लेने के लिए धमकी (चाहे इस तरह की धमकी, दबाव या धमकी रिपोर्टिंग के कार्य से पहले या बाद में की गई हो), तो उसे मामले की रिपोर्ट सत्यनिष्ठा समिति को करनी चाहिए।
- c. आसपास। अनैतिक / गैर - अनुपालन गतिविधियों की शिकायतों के साथ, प्रतिशोध, उत्पीड़न या भेदभाव ("निषिद्ध प्रतिशोध") की ऐसी कार्रवाइयों को कदाचार माना जाएगा और अधिसूचना पर, सत्यनिष्ठा समिति तुरंत ऐसे किसी भी निषिद्ध प्रतिशोध को रोकने या सुधारने के लिए उचित कार्रवाई करेगी, जिसमें लंबित अन्वेषण, प्रासंगिक अन्वेषण के पूरा होने तक, रोजगार से ऐसे किसी भी कृत्य के आरोपी को अस्थायी रूप से निलंबित करना शामिल है।
- d. प्रतिशोधी प्रतिशोध का कोई भी कार्य, या शिकायत वापस लेने के लिए व्हिसलब्लोअर पर कोई धमकी या दबाव या रिपोर्टिंग, गवाही देने या अन्यथा अन्वेषण कार्यवाही में भाग लेने की धमकी, को अनैतिक / गैर - अनुपालन गतिविधि के कथित मामले के रूप में गंभीरता से माना जाएगा, और मूल शिकायत साबित नहीं होने पर भी लागू होगा। निषिद्ध प्रतिशोध, धमकी या धमकी के किसी भी कार्य के परिणामस्वरूप ऐसे कृत्यों के अपराधी के रोजगार की समाप्ति हो सकती है।
- e. सूचना प्रदाता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
- f. उक्त अन्वेषण में सहायता करने वाले या साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागी को भी व्हिसलब्लोअर के समान ही संरक्षित किया जाएगा और अन्वेषण में भाग लेने के लिए प्रतिशोध से सुरक्षा की समान डिग्री का भी हकदार है।
- g. एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी भी समय अन्वेषण से पता चलता है कि व्हिसलब्लोअर किसी तरह रिपोर्ट की गई अनैतिक / गैर - अनुपालन गतिविधि में शामिल था, तो व्हिसलब्लोअर को उसी डिग्री के साथ आगे बढ़ने से प्रतिरक्षा नहीं होगी जो अनैतिक / गैर - अनुपालन गतिविधि के कथित अपराधी के खिलाफ है।

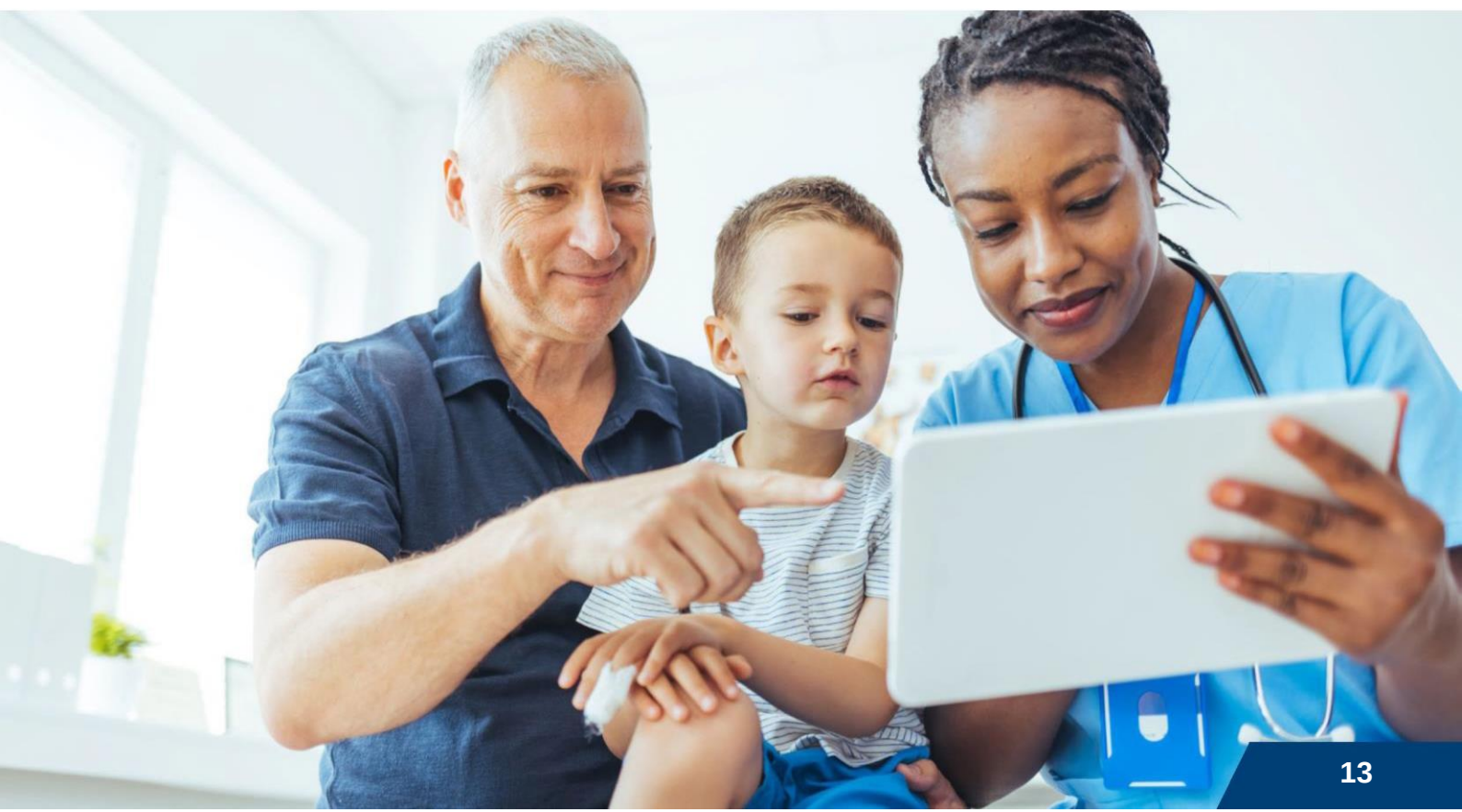
3.13 गुप्तता / गोपनीयता

व्हिसलब्लोअर; विषय; सत्यनिष्ठा समिति, अन्वेषण दल और लेखा परीक्षा समितियों के सदस्य; प्रतिभागी; और अन्वेषण प्रक्रिया में शामिल अन्य सभी व्यक्ति :

- मामले की गोपनीयता / गुप्तता बनाए रखें।
- किसी भी अनौपचारिक / सामाजिक समारोहों / बैठकों में इस मामले पर चर्चा न करें।
- केवल उस सीमा तक या प्रक्रिया और अन्वेषण को पूरा करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित व्यक्तियों के साथ चर्चा करें।
- कागजात को किसी भी समय कहीं भी लावारिस न रखें।
- इलेक्ट्रॉनिक मेल / फाइलों को पासवर्ड के तहत रखें।

3.14 रिपोर्टिंग और प्रतिधारण

- सत्यनिष्ठा समिति को उन्हें भेजी गई सभी शिकायतों के बारे में अन्वेषण के परिणामों यदि कोई हो, के बारे में तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
- संबंधित दस्तावेजों को कंपनी की 'रिकॉर्ड प्रतिधारण नीति' के अनुसार न्यूनतम 5 वर्षों के लिए बनाए रखा जाएगा।



3.15 नीति के दुरुपयोग की रोकथाम

- हालांकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तविक सूचना प्रदाताओं को किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है, जैसा कि इसमें निर्धारित किया गया है, इस संरक्षण के किसी भी दुरुपयोग के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- इस नीति के तहत संरक्षण का मतलब व्हिसलब्लोअर द्वारा किए गए झूठे या फर्जी आरोपों से उत्पन्न अनुशासनात्मक कार्रवाई से संरक्षण नहीं होगा, यह जानते हुए कि यह गलत है या दुर्भावनापूर्ण इरादे से रिपोर्ट किया गया है।
- कोई भी व्हिसलब्लोअर जो कोई शिकायत करता है जो बाद में अवैध, तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण पाया गया है, कंपनी की आचार संहिता के तहत अनुशासित होने के लिए उत्तरदायी होगा
- इस नीति का उद्देश्य उन शिकायतों को कवर करना नहीं है जो प्रकृति में विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत है, और जो कंपनी के बाहर उत्पन्न होती है और कंपनी के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं डालती है।
- यदि सद्भावपूर्वक (सत्यनिष्ठा समिति के विवेकाधिकार पर) की गई शिकायत बाद में असत्य पाई जाती है तो सूचना प्रदाता के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।
- सूचना प्रदाता द्वारा की गई अनैतिक / अनुपालन न करने वाली शिकायतें पर्याप्त समर्थन प्रमाण के साथ वास्तविक होनी चाहिए। सूचना प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना सूचना प्रदाता के प्रत्यक्ष अनुभव अथवा सूचना प्रदाता के पास मौजूद विश्वसनीय साक्ष्य अथवा सूचना प्रदाता के पास मौजूद विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर होनी चाहिए। कोई भी शिकायत केवल अनौपचारिक माध्यमिक स्रोतों जैसे कि सुनी - सुनाई बातों या अन्य समान अनौपचारिक संचार पर आधारित नहीं होनी चाहिए, जब तक कि व्हिसलब्लोअर के पास यह मानने का पर्याप्त कारण न हो कि ऐसे स्रोत विश्वसनीय है।
- यदि सूचना प्रदाता सत्यनिष्ठा समिति के समक्ष अपनी पहचान प्रकट करने का विकल्प चुनता है तो अन्वेषण के प्रयोजन के लिए मामले पर विचार करने से पहले सूचना प्रदाता की पहचान की प्रामाणिकता स्थापित की जानी चाहिए।
- गुमनाम प्रकटन के मामले में, सत्यनिष्ठा समिति अन्वेषण शुरू करने से पहले प्रकटन के संभावित आशय और वैधता की अग्रिम अन्वेषण करेगी। यदि उन्हें संदेह है कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई थी या प्रकृति में तुच्छ थी, तो वे लिखित में दर्ज कारणों के साथ मामले को छोड़ने का फैसला कर सकते हैं।

3.16 संशोधन

सत्यनिष्ठा समिति को इस नीति को पूर्ण या आंशिक रूप से (गैर महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में) संशोधित या परिवर्तित करने का अधिकार है और अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति को पूरे या आंशिक रूप से (महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में) इस नीति में संशोधन या परिवर्तन की अनुशंसा करने का अधिकार है।

वैश्विक प्रमुख - अभिशासन, जोखिम और अनुपालन और कंपनी सचिव

अखिलेश नंद

वैश्विक प्रमुख- मानव संसाधन

नवीन नारायणन



हमसे संपर्क करें

किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया बेझिझक अन्वेषण कार्य से संपर्क करें